



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 27.07.2025

1. थाना सेक्टर-24 पुलिस व स्नैचिंग करने वाले बदमाश के बीच हुई मुठभेड के सम्बन्ध में--

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 27.07.2025 को थाना सेक्टर-24 पुलिस द्वारा सेक्टर-11 नोएडा में चेकिंग की जा रही थी, तभी सेक्टर-56 की तरफ से मोटरसाइकिल पर सवार एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध प्रतीत होने पर रुकने का इशारा किया गया तो मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति द्वारा अपनी मोटरसाइकिल मोड़कर भगाने का प्रयास करने लगा। पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति का पीछा किया गया तो मोटरसाइकिल असंतुलित होकर खंबे से टकरा कर गिर गयी। बदमाश द्वारा अपने आप को घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश की पहचान आमिर उर्फ दानिश पुत्र तुफैल अहमद निवासी शहीद नगर, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद वर्तमान पता पुरानी सीमापुरी, शाहदरा, दिल्ली, उम्र करीब 36 वर्ष के रूप में हुई है। घायल बदमाश के कब्जे से 01 तमंचा मय 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर, घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर व पचास हजार पांच सौ (50,500) रुपये नगद बरामद किये गये हैं। घायल अभियुक्त को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

● अभियुक्त आमिर उर्फ दानिश के आपराधिक इतिहास का विवरण--

- 1- मु0अ0सं0- 0314/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0- 0124/2025 धारा 304(2) बीएनएस, थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
- 3- मु0अ0सं0- 1317/2019 धारा 411/414 भादवि, थाना सेक्टर-24, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
- 4- मु0अ0सं0- 0914/2016 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट, थाना जीआरपी, गाजियाबाद।
- 5- मु0अ0सं0- 0125/2025 धारा 25/54/59 आर्म्स एक्ट, थाना पटपडगंज, दिल्ली।
- 6- मु0अ0सं0- 80014876/2025 धारा 303(2) बीएनएस, थाना पटपडगंज, दिल्ली।
- 7- मु0अ0सं0- 0554/2024 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना पटपडगंज, दिल्ली।
- 8- मु0अ0सं0- 39753/2024 धारा 305बी बीएनएस, थाना लक्ष्मीनगर, दिल्ली।

- 9- मु0अ0सं0- 0275/2023 धारा 25/54/59 आम्स एक्ट, थाना पटपडगंज, दिल्ली।
- 10- मु0अ0सं0- 0532/2023 धारा 379/411 भादवि, थाना पटपडगंज, दिल्ली।
- 11- मु0अ0सं0- 0717/2023 धारा 379/411 भादवि, थाना पटपडगंज, दिल्ली।
- 12- मु0अ0सं0- 0525/2022 धारा 27/61/85 एनडीपीएस एक्ट, थाना सीमापुरी, दिल्ली।
- 13- मु0अ0सं0- 0532/2022 धारा 379/411 भादवि, थाना पटपडगंज, दिल्ली।
- 14- मु0अ0सं0- 0297/2022 धारा 33 आबकारी एक्ट, थाना पटपडगंज, दिल्ली।
- 15- मु0अ0सं0- 0340/2021 धारा 356/379/34 भादवि, थाना पटपडगंज, दिल्ली।
- 16- मु0अ0सं0- 0357/2020 धारा 392/397/34 भादवि थाना पटपडगंज दिल्ली
- 17- मु0अ0सं0- 016ए/2019 धारा 41.1(डी)/102 सीआरपीसी, थाना गाँधीनगर, दिल्ली।
- 18- मु0अ0सं0- 0042/2019 धारा 380/411 भादवि, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
- 19- मु0अ0सं0- 0247/2017 धारा 33 आबकारी एक्ट, थाना कश्मीरी गेट, दिल्ली।
- 20- मु0अ0सं0- 0639/2015 धारा 380/34 भादवि व 147/179 IR एक्ट, थाना रेलवे दिल्ली।
- 21- मु0अ0सं0- 0161/2019 धारा 379 भादवि, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
- 22- मु0अ0सं0- 0234/2019 धारा 379 भादवि, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
- 23- मु0अ0सं0- 0254/2019 धारा 379 भादवि, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
- 24- मु0अ0सं0- 0160/2019 धारा 379 भादवि, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
- 25- मु0अ0सं0- 24888/2019 धारा 379 भादवि, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
- 26- मु0अ0सं0- 23094/2019 धारा 379 भादवि, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
- 27- मु0अ0सं0- 24175/2019 धारा 379 भादवि, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।
- 28- मु0अ0सं0- 25373/2019 धारा 379 भादवि, थाना गीता कॉलोनी, दिल्ली।

2. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा घरों में घुसकर चोरी करने वाली घटना में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी के आभूषण व 4000 रुपये नगद व अवैध शस्त्र बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 27.07.2025 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से घरों में घुसकर चोरी करने वाली घटना में संलिप्त वांछित अभियुक्त अभिषेक पुत्र गोविन्द को सर्विस रोड तिलपता से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी के पीली धातु के आभूषण- 01 अंगूठी, 01 लॉकेट मोतीजड़ा, 01 नाक की लौंग, 01 पिघला हुआ टुकड़ा (वजन करीब 17 ग्राम), सफेद धातु के आभूषण- 01 जोड़ी पायल, 4000 रुपये नगद, 01 तमंचा व 01 कारतूस .315 बोर बरामद किया गया है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त अभिषेक द्वारा अपने सह अभियुक्त प्रशान्त व हर्षित चौहान उर्फ मोहित चौहान के साथ मिलकर घरों में घुसकर दरवाजें अथवा खिड़की तोड़कर कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया गया था। अभियुक्त प्रशान्त व हर्षित चौहान उर्फ मोहित चौहान को दिनांक 25.07.2025 को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया उसी दौरान अभियुक्त अभिषेक मौके का फायदा उठाकर भाग गया था, जिसकी पुलिस द्वारा कॉम्बिंग की जा रही थी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

अभिषेक पुत्र गोविन्द निवासी गौतमपुरी कस्बा व थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 30 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

- 1- मु0अ0सं0- 423/2025 धारा 305(ए)/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
- 2- मु0अ0सं0- 415/2025 धारा 305(ए)/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
- 3- मु0अ0सं0- 126/2025 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
- 4- मु0अ0सं0- 420/2025 धारा 305/331(4)/317(2) बीएनएस, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
- 5- मु0अ0सं0- 430/2025 धारा 109/3(5) बीएनएस एवं धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट, थाना सूरजपुर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।

बरामदगी का विवरण--

- 1- चोरी के पीली धातु के आभूषण- 01 अंगूठी, 01 लॉकेट मोतीजड़ा, 01 नाक की लौंग, 01 पिघला हुआ टुकड़ा (वजन करीब 17 ग्राम) ।
- 2- चोरी के सफेद धातु के आभूषण- 01 जोड़ी पायल ।
- 3- 4000 रुपये नगद ।
- 4- 01 तमंचा व 01 कारतूस .315 बोर ।

3. थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 27.07.2025 को थाना बीटा-2 पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त निखिल पुत्र देवेन्द्र को थाना बीटा-2 क्षेत्रांतर्गत एटीएस गोलचक्कर से गिरफ्तार किया गया है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- अभियुक्त निखिल एक सक्रिय गिरोह का सदस्य है, अभियुक्त निखिल द्वारा अपने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर अवैध शस्त्र के बल पर चोरी की गई कार i-10 में सवार होकर गैस कनेक्शन एजेंट की मोटरसाइकिल में टक्कर मारकर 08 लाख रुपयों से भरा बैग छीनने की घटना कारित की गयी थी। अभियुक्तों द्वारा चोरी व लूट की घटनाएं कारित की जाती है, जिसके संबंध में अभियुक्तों के विरुद्ध थाना बीटा-2 पर मु0अ0सं0 299/2025 धारा 2(b)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था, जिसमें अभियुक्त वांछित चल रहा था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

निखिल पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम भराना, थाना सिकन्द्राबाद, बुलन्दशहर ।

पंजीकृत अभियोग व आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 299/2025 धारा 2(b)(1)/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
2. मु0अ0सं0- 446/2024 धारा 281/125(ए)/309(4)/317(2)/61(2) बीएनएस, थाना बीटा-2, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।